न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 218/2022

मुर्ति मंदिर श्री कल्याण विराजमान तोदी नगर बनाम महेश कुमार

आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

आदेश

दिनांक 23.1.2023

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि मूर्ति मंदिर की ओर से जरिये भक्त संदीप शर्मा ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 आरटीएक्ट में पेश किया। धारा 188 आरटीएक्ट में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सिर्फ खातेदार ही ला सकता है । हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1600 ता 1605 किता 4 कुल रकबा 6.04 है0 वाके कस्बा सीकर को न तो मूर्ति मंदिर कल्याण जी व ना ही संदीप शर्मा खातेदार है। वादी को कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लाने का अधिकार नहीं होने तथा खातेदारी की प्रमाणित अनुताष के बिना स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 5 कमला देवी को पक्षकार बनाया गया है जिसका स्वर्गवास वाद दायरी के काफी समय पूर्व ही हो चुका था, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 के अलावा उनके अन्य उत्तराधिकारी भी मौजूद है। कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्व दावा नलटी की संज्ञा में आता है अर्थात मृत व्यक्ति के विरूद्व शुन्य होता है। अतः मृत व्यक्ति के खिलाफ वाद पोषणीय नहीं होने तथा खातेदारी घोषणा के प्रमाणिक अनुतोष के बिना स्थाई निषेधाज्ञा का दावा खातेदारों के विरूद्व चलने योग्य नहीं हाने से दावा खारिज फरमाया जावे।

वादी द्वारा आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मूर्ति मंदिर श्री कल्याण जी शाश्वत नाबालिक है और उनकी तरफ से उनके हितों की रक्षा के लिये वाद मित्र की हैसियत से संदीप शर्मा ने वाद प्रस्तुत किया है जो अवैध कब्जो को रोकने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि कदीमी से मूर्ति मंदिर के नाम चली आ रही है और राजस्व विभाग द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर किसी की खातेदारी दर्ज होने पर रेफरेंस प्रस्तुत किया जाता है ऐसी सुरत में उक्त रेमेडी को बचाते हुऐ स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ क्योंकि नाबालिक की भूमि पर कब्जा नाबालिक का हीं माना जायेगा। कब्जे के संबंध में

उपखण्ड अधिकारी सीकर

Scanned with Oken Scanner

निस्तारण साक्ष्य व सबूत आने के बाद ही तय हो सकते हैं। प्रारम्भ के स्तर पर कब्जे सम्बंधी कोई अवधारणा नहीं बनाई जा सकती है। वादी द्वारा सदभाविक रूप से राजस्व विभाग को देखकर व मौके पर उत्पन्न हुई परिस्थिति व सद्भाविक जानकारी अनुसार वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 5 कमलादेवी की मृत्यु की जानकारी वादी को कभी भी नहीं रही है । उनके उत्तराधिकारियों की जानकारी होते ही कायम मुकाम का आवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा। जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र पोषणिय नहीं होने के कारण मंदिर मूर्ति जो कि शाश्वत नाबालिक की खातेदारी की सुरक्षा में लाये वाद का निस्तारण साक्ष्य सबूत लेकर गुणावगुण पर किया जाना न्याय संगत होगा। आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई जो मुताबिक आवेदन एवं जवाब आवेदन रही। आवेदनकर्ता द्वारा तर्क दिया गया कि माफी मंदिर धारा 9 जागीर एक्त 1952, 54 व 56 के तहत समाप्त कर दी गई इसलिये माफी का दावा दर्ज नहीं होगा। माफी पुर्नजीवित नहीं होगी। प्रथम जमाबंदी से खातेदारी है। माफी की खातेदारी कभी नही रही। अपने जवाब के समर्थन में वकील वादी ने तर्क किया कि माफी मंदिर के बारे में निर्णय नहीं हुआ है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 9.11.2011 को मूर्ति मंदिर के खातेदारी के आदेश दिये हैं। वकील वादी ने तर्क दिया कि दिनांक 9.11.2011 का आदेश सोमोटो किया गया था जिसको रेवेन्यु बोर्ड ने खारिज कर दिया ।

हमने बहस पर मनन किया एंव आवेदन के तथ्यों, जवाब आवेदन के तथ्यों एवं वाद का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075–78 में खसरा नम्बर 1600, 1601, 1602 व 1605 वाके कस्बा सीकर में खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज है। इस प्रकार से विवादित आराजियात के खातेदार वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 हैं। वादी द्वारा वाद स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत प्रस्तुत किया गया है। जो कि कानूनन पोषणिय नहीं है। अधिनियम के तहत 188 का वाद सिर्फ खातेदार ही ला सकता है। वादी ने अपने कथनों में यह भी कथन किया है कि वाद का निस्तारण साक्ष्य सबूत लेकर किया जावे परन्तु जब वादी खातेदार काश्तकार ही नहीं है तथा वादी का वाद उद्घोषणा का है ही नही तो गुणावगुण के आधार पर रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा साक्ष्य सबूत के आधार पर कैसे की जा सकती है, वादी ने अपने जवाब में ऐसा कोई तर्क नहीं दिया है ना ही कोई कानूनन पेश किया है। वादी द्वारा वाद मृत के खिलाफ भी पेश किया गया है। वाद दायरी से पूर्व वादी का यह दायित्व होता है कि वह आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ही वाद प्रस्तुत करें। वादी ने खातेदारों के विरूद्व उद्घोषणा नहीं चाही है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र के तथ्य समाहित होते है।

23/1/2023

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है। वाद वादी भूमि खसरा नम्बर 1600, 1601, 1602 व 1605 किता 4 कुल रकबा 6.04 है0 वाके ग्राम करवा सीकर तहसील व जिला सीकर का खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.1.2023 को मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

23/1/2023

(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर